

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर0ए0एस0  
प्रकरण संख्या– 18/2020

1. बच्चूसिंह  
2. बारेलाल  
3. चरनसिंह

पुत्रगण बाबूसिंह जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम घेड़ तहसील व  
जिला धौलपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र होरीलाल  
2. निखिल पुत्र पदमचन्द  
3. नितिन पुत्र पदमचन्द  
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर  
5. श्रीमती आरती पत्नी वीरीसिंह  
6. श्रीमती शारदा पत्नी रामखिलाडी

समस्त जातिगण जैन निवासीगण पुराना शहर  
धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज0)

जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम घेड़ तहसील  
व जिला धौलपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राज0 अधि0 1956

उपस्थिति – 1. श्री बिज्जोलाल शर्मा एडवोकेट—प्रार्थीगण की ओर से  
2. श्री अशोक सकसैना एडवोकेट –अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से  
3—पैरोकार सरकार गैरसायल संख्या 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.02.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 512/379 रकवा 14 वीघा 14 विस्वा में प्रार्थीगण, आराजी खसरा नम्बर 379/447 का अप्रार्थी संख्या 1 एवं आराजी खसरा नम्बर 449/379 के अप्रार्थी संख्या 2 व 3 खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का कभी मौके पर कब्जा नहीं रहा है और ना ही अब है। उक्त तीनों खसरा नम्बरों में एक बड़े नम्बर में से आवंटन के पश्चात् बने है। आवंटन के बाद जो नक्शा तरमीम की गई वह मौके के कब्जे अनुसार नहीं की गई थी। जिन लोगों का मौके पर कब्जा नहीं था, उनके नाम जो आवंटन का खसरा नम्बर कायम कर बिना मौके के कब्जे के नक्शा में तरमीम करा दिया गया जबकि मौके पर करीब 40 वर्षों से जबसे प्रार्थीगण ने काश्त करना शुरू किया है तभी से मौके पर प्रार्थीगण

  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज0)

के कब्जानुसार मेड़ पड़ी हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी का खसरा नम्बर 512/379 दक्षिण दिशा में उसके उत्तर में खसरा नम्बर 379/447 के उत्तर में खसरा नम्बर 449/379 कायम कर दिया गया है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में अधिक कायम कर दी है तथा लम्बाई उत्तर से दक्षिण कम है जबकि प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 512/379 की लम्बाई उत्तर से दक्षिण अधिक एवं चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कम होनी चाहिए। मौके के कब्जे अनुसार तरमीम नहीं हुआ तो पक्षकारों के मध्य झगड़ा होने की सम्भावना है, क्योंकि प्रार्थीगण जमीन के जिस भाग को समतल करके काश्त योग्य बनाकर 40 वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं, उस जमीन को प्रार्थीगण किसी भी हाल में छोड़े नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बदमाशों की सहायता से प्रार्थीगण के कब्जे वाली जगह को मौजूदा नम्बर के अनुसार कब्जा करना चाहते हैं तथा प्रार्थीगण को जबरन लट्ट एवं ताकत के बल पर बलपूर्वक बेदखल करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र दायरी से 1 सप्ताह पूर्व अप्रार्थीगण मौके पर 7-8 लठैत लोगों के साथ प्रार्थीगण के कब्जे वाली जमीन को नापने लगे जब प्रार्थीगण ने इसका कारण पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जाहिर किया वे अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, इसलिए अब नक्शा में उनके खसरा नम्बर की जमीन जहाँ पर दर्ज है उस पर कब्जा करेंगे और कोई रूकावट पैदा करेगा तो उसे बलपूर्वक बेदखल करेंगे। अप्रार्थी अशोक कुमार का खसरा नम्बर 379/447 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 512/379 के उत्तर दिशा में लगा हुआ है, जिससे दक्षिण दिशा की ओर यानी प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 512/379 से उत्तर की ओर वाले कुछ हिस्से पर प्रार्थीगण का 40 वर्षों से कब्जा है जिसका अप्रार्थीगण ने आज तक विरोध नहीं किया। पक्षकारों के मध्य पैदा हुए विवाद एवं तनाव को समाप्त करने के लिए नक्शा अक्श में कब्जे के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने न्यायालय में आकर दिनांक 18.09.2020 को उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर बताया कि अप्रार्थीया आरती ने आराजी खसरा नम्बर 379/447 का कुछ भाग अप्रार्थी अशोक कुमार से एवं अप्रार्थीया शारदा ने खसरा नम्बर 449/379 का कुछ भाग अप्रार्थी नितिन से दिनांक 30.07.2020 को खरीद किया है परन्तु मौके पर कब्जा आज तक उनका नहीं हुआ है क्योंकि मौके पर कब्जा न तो कभी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का हुआ और ना प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत एवं अप्रार्थी संख्या 5 व 6 द्वारा खरीदी गयी समस्त भूमि पर कब्जा अन्य व्यक्ति हेमसिंह व बहादुरसिंह पुत्रगण रुकम सिंह जाति गूजरान निवासीगण घेड़ ने कर रखा है, जो बलशाली एवं धनवान व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, 5 व 6 अतिकमी हेम सिंह व बहादुर का कब्जा हटाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम गरीब व कमजोर प्रार्थीगण की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, मौके पर वन विभाग की जमीन की हदबन्दी हो रखी है वहाँ से कृषि भूमि की सीमा शुरू होती है वन विभाग की हदबन्दी (सीमा) से पैमाइश कराई जाकर दोनों पक्षों की भूमि का सीमा ज्ञान कराया जा सकता है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 512/379 रकवा 14 बीघा 14 विस्वा में से 6 विस्वा भूमि जी0टी0पी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट लिमिटेड नामक कम्पनी को पिछले तीन वर्षों से किराये पर दे रखा है और बच्चू सिंह किराया प्राप्त कर रहा है अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के परिवारीजन ये चाहते हैं कि प्रार्थीगण की जमीन पर जबरन कब्जा करने लट्ट के जोर से

०१  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज0)

कम्पनी से किराये की राशि वसूल करना चाहते हैं। प्रार्थीगण के द्वारा मौके पर पैमाइस कराई जाकर प्रार्थीगण के पक्षकारान के कब्जा रिपोर्ट मंगाई जावे नक्शा अक्श में पक्षकारान के कब्जा के अनुसार तरमीम करने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि एलोटमेन्ट होने के बाद कब्जा प्रदान करने के दिवस से वदस्तूर बिना किसी विघ्न बाधा के काश्त करते चले आ रहे हैं एवं आज भी काश्त कर रहे हैं। साविक खसरा नम्बर 141 जो कि एक बड़ा नम्बर था में अप्रार्थी संख्या 1 अशोक कुमार को 27 बीघा 6 विस्वा आराजी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 की माता श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री पदमचन्द जैन को 27 बीघा 6 विस्वा आराजी एवं प्रार्थीगण के पूर्व विक्रेता श्रीमती शमीम बेगम पत्नी श्री मंजूर हुसैन वकील साहब को 27 बीघा 6 विस्वा आराजी दिनांक 29.11.1971 को तत्कालीन जिलाधीश महोदय भरतपुर ने आवंटित की थी। तदोपरात आवंटनधारी व्यक्तियों को आवंटित शुदा आराजीयात पर कब्जा प्रदान किया गया एवं राजस्व अभिलेख में वहैसियत गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। 1971 में आवंटन के बाद ही मौके पर कब्जे के आधार पर नक्शे में तरमीम की गई अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि का नया खसरा नम्बर 379/447 अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की माँ को आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 379/448 एवं प्रार्थीगण के पूर्व विक्रेता श्रीमती शमीम बेगम को आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 379/446 था उक्तानुसार ही नक्शा किरस्तवार बाकै ग्राम घेड़ में तरमीम हुई थी। अर्थात जिस अलोटी को जहां कब्जा दिया गया था उसी जगह राजस्व नक्शे में तरमीम की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की माँ, एवं प्रार्थीगण के पूर्व विक्रेता ने विधि अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये थे। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई जमीन अलोट नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने तो उक्त भूमि को श्रीमती शमीम बेगम से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदी थी अर्थात जिस जगह श्रीमती शमीम बेगम काबिज थी एवं राजस्व नक्शे में उनको खसरा नम्बर 379/446 की जहाँ तरमीम हो रही थी उसी जगह को प्रार्थीगण ने जाँच परख करके एवं उसके कब्जे काश्त को देखकर व संतुष्ट होकर खरीद कर उनसे कब्जा व आधिपत्य प्राप्त किया था तभी से उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। रोजे खरीद से इस प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने तक प्रार्थीगण ने आज तक अर्थात प्रार्थीगण के कथनानुसार 40 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने उक्त तरमीम बाबत् कभी कोई आपत्ति नहीं की एवं नहीं प्रार्थीगण की विक्रेता श्री शमीम बेगम ने उक्त तरमीम के बाबत् कभी कोई आपत्ति की। तत्कालीन राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों ने मौके पर कब्जे के आधार पर राजस्व नक्शे में तरमीम की थी जो कि बिल्कुल सही तरमीम की गई थी, अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण वर्तमान में भी उरोक्त तरमीम अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण गूर्जर जाति के बाहुबली और शक्तिशाली लोग हैं जो कि जबरन बलपूर्वक एवं येनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण की आराजीयात को हड़पना चाहते हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 379/447 रकवा 3.4900 हैक्टेयर में 4/11 भाग अर्थात 1.2690 हैक्टेयर (100.25 विस्वा) आराजी को प्रार्थीगण के परिवारीजन श्रीमती आरती पत्नी श्री वीरीसिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम घेड़ तहसील व जिला धौलपुर को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख तारीखी 30.07.2020 से विक्रय कर दिया एवं विक्रीत आराजी पर केता श्रीमती आरती को कब्जा सौंप दिया एवं इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 नितिन ने अपनी

1-7  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज०)

खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 379/448 जिसका कि वर्तमान कम्प्यूटर नम्बर 449/379 रकवा 3.3003 हैक्टेयर में निहित अपने 1/2 भाग में से 9/13 भाग अर्थात 1.1424 हैक्टेयर (90.24 विस्वा) आराजी प्रार्थीगण के परिवारीजन श्रीमती शारदा पत्नी श्री रामखिलाडी जाति गूर्जर निवासी ग्राम घेड को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख तारीखी 30.07.2020 से विक्रय कर दिया एवं विकीत आराजी पर क्रेता श्रीमती शारदा को कब्जा सौंप दिया। परिवारिक ईर्ष्या व द्वेष की वजह से प्रार्थीगण ने क्रेतागण श्रीमती आरती एवं श्रीमती शारदा को खरीदशुदा आराजी पर कब्जा करने से रोकने एवं राजस्व अभिलेखों में उनके नाम नामान्तरण खुलने से रोकेने के उद्देश्य से दुर्भावना पूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थीगण का अपनी आराजी खसरा नम्बर 512/379 से उत्तर दिशा की ओर रिथत उत्तरदाता संख्या 01 अशोक कुमार की आराजी खसरा नम्बर 379/447 के किसी भी अश पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी पर एवं उक्त आराजी में से उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को बेची गई आराजी पर हेमसिंह व बहादुरसिंह पुत्रगण रूकमसिंहि जाति गूर्जर निवासी ग्राम घेड का कब्जा नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, 5 व 6 का कब्जा है और अपने अपने हिसाब से फसल लाभ प्राप्त कर रहे है। राजस्व नक्शे में हुई तरमीम के अनुसार वन विभाग अपनी भूमि पर काबिज है अप्रार्थीगण उत्तरदाता अपनी भूमि पर काबिज है प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज है। बदनीयती पूर्वक प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की उपजाऊ एवं कीमती भूमि को जबरन बलपूर्वक हड़पना चाहता है, प्रार्थीगण वास्तव में ही अपनी तरमीम शुदा आराजी का सीमा ज्ञान कराना चाहता है तो व श्रीमान् तहसीलदार महोदय को पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एवं नियमानुसार फीस अदा करके सीमा ज्ञान करा सकता है। प्रार्थीगण ने बिना इजाजत भूमि धारक (तहसीलदार धौलपुर) एवं बिना भूमि रूपान्तरण कराये उपरोक्त आराजी को जीटीपी इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड जो कि धौलपुर में तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण का कार्य कर रही है। को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग हेतु किराये पर दे दी है, चूंकि प्रार्थीगण की यह स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों से खसरा नम्बर 512/379 रकवा 14 बीघा 14 विस्वा में 6 बीघा भूमि को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किराये पर दी है अर्थात उक्त 6 बीघा भूमि पर 3 वर्ष से कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अधीन बेदखल किये जाने योग्य है। एवं उक्त भूमि पर कब्जे राज्य में लिया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 अशोक कुमार ने अपनी आराजी में से 1.2690 हैक्टेयर भूमि अर्थात 100.25 विस्वा आराजी दक्षिण दिशा जो कि दक्षिण पूर्व व पश्चिम में लगी हुई है को अप्रार्थी संख्या 5 आरती एवं अप्रार्थी संख्या 3 नितिन ने अपने हिस्से की आराजी में से 1.1424 हैक्टेयर भूमि अर्थात 90.24 विस्वा आराजी पूर्व दिशा जो कि पूर्वी व उत्तर कोना है को अप्रार्थी संख्या 6 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख तारीखी 30.07.2020 से विक्रय कर दिया एवं मौके पर कब्जा प्रदान किया था। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 5 व 6 एक ही परिवार के सदस्य है और अप्रार्थी संख्या 5 व 6 द्वारा खरीदी गई उपरोक्त आराजी के बाबत् प्रार्थीगण को शुरू से ही ज्ञान है चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के परिवारों के मध्य आपसी मनमुटाव व

६७  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज०)

मतभेद है जब उक्त आराजीयात को खरीदने के बाद राजस्व अभिलेखों में अपना नामान्तकरण तस्दीक कराने बाबत् पटवारी हल्का को उक्त विक्रय पत्र प्रस्तुत कर विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण खुलवाये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी जिस पर पटवारी ने नामान्तकरण भर कर ग्राम पंचायत भैसेना के समक्ष प्रस्तुत कर दिया लेकिन प्रार्थीगण ने सोची समझी चाल के तहत इस न्यायालय में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अप्रार्थीगण की पीठ पीछे आराजीयात पर रिकार्ड व मौके की यथारिथति बनाये रखने बाबत् एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का नामान्तकरण तस्दीक होने से रूक गया अर्थात् नामान्तकरण वर्तमान प्रक्रियाधीन है। वर्ष 1991 में अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की पूर्व विक्रेता श्रीमती शमीम बेगम की आराजीयात में होकर रेलवे की दूसरी लाइन डाली गई थी तब उनकी उपरोक्त आराजी में से रेलवे द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी जिसके कि बाबत् अप्रार्थीगण एवं श्रीमती शमीम बेगम को मुआवजा दिया गया था। इस प्रकार रेलवे द्वारा अप्रार्थी अशोक कुमार की आराजी खसरा नम्बर 379/447 में से 8 बीघा 15 विस्वा भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की माँ श्रीमती विमलादेवी की आराजी 379/448 में से 9 बीघा 10 विस्वा, एवं इसी प्रकार प्रार्थीगण के पूर्व विक्रेता श्रीमती शमीम बेगम की आराजी 379/446 में से 7 बीघा 6 विस्वा अवाप्त की गई थी जिसका कि मुआवजा रेलवे द्वारा उनको दिया गया था। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधि० के अधीन किसी लिपिकीय गलती को ही शुद्ध किया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण स्वयं अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 एवं चरण संख्या 12 में यह स्वीकार करते हैं कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की खातेदारी के खसरा नम्बर क्रमशः 379/447 एवं 449/379 प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं० 512/379 के उत्तर दिशा में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान प्रार्थीगण के कथनानुसार ही मौके पर स्थित है एवं तदनुसार ही नक्शे में तरमीम हो रही है एवं इसी प्रकार काबिज काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 512/379 की भूमि प्रार्थीगण को आवंटित नहीं हुई बल्कि श्रीमती शमीम बेगम पत्नी श्री मंजूर हुसैन वकील साहब जाति मुसलमान निवासी धौलपुर को आवंटित हुई थी। आवंटन के बाद उन्होंने ही उक्त भूमि की तरमीम करवाई एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त किये। श्रीमती शमीम बेगम ने उक्त तरमीम के बाबत् कोई आपत्ति नहीं की। चूंकि उनके कब्जे से भलि-भांति वाकिफ होकर ही प्रार्थीगण ने मुस० शमीम बेगम से उनकी उक्त आराजीयात खरीदी थी, जिस पर प्रार्थीगण के कथनानुसार उनका 40 वर्षों से कब्जा है। इन 40 वर्षों से अधिक समय तक प्रार्थीगण उक्त तरमीम बाबत् कोई आपत्ति नहीं की। प्रार्थीगण अब अपनी स्वीकारोक्ति के विरुद्ध आचरण करने से पाबन्द है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमावन्दी सम्वत् 2076-2079, नकल नक्शा अक्श, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल, नक्शा अक्श बाकै ग्राम घेड़ प्रदर्श, अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में फोटोप्रति विक्रय पत्र तारीखी 30.07.2020 बाहक श्रीमती आरती द्वारा अशोक कुमार, फोटोप्रति विक्रय पत्र तारीखी 30.07.2020 बाहक श्रीमती शारदादेवी द्वारा नितिन प्रस्तुत किये।

**उपखण्डाधिकारी**  
धौलपुर (राज०)

वहस प्रार्थना पत्र विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 512/379 रकवा 14 बीघा 14 विस्वा, में प्रार्थीगण, आराजी खसरा नम्बर 379/447 का अप्रार्थी संख्या 1 एवं आराजी खसरा नम्बर 49/379 के अप्रार्थी संख्या 2 व 3 खातेदार काश्तकार है। उक्त तीनों खसरा नम्बरान एक बडे नम्बर में से आवंटन के पश्चात बने है। आवंटन के बाद जो नक्शा तरमीम की गई वह मौके के कब्जे अनुसार नहीं की गई थी। प्रार्थीगण के कब्जानुसार मेड़ पड़ी हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी का खसरा नम्बर 512/379 दक्षिण दिशा में उसके उत्तर में खसरा नम्बर 379/447 के उत्तर में खसरा नम्बर 449/379 कायम कर दिया गया है। खसरा नम्बर 512/379 की लम्वाई उत्तर से दक्षिण अधिक एवं चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कम होनी चाहिए। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 वयनामा से क्रेता है। अप्रार्थी संख्या 5 आरती ने अशोक से खसरा नम्बर 379/447 का कुछ भाग एवं अप्रार्थी संख्या 6 शारदा ने नितिन से 449/379 में से कुछ भाग क्य किया गया है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व 5, 6 द्वारा क्य की गई भूमि पर हेमसिंह व बहादुर द्वारा कब्जा कर लिया वह प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। मौके पर वन विभाग की भूमि विवादित आराजी से लगी हुई है वन विभाग की भूमि की हदबन्दी हो रही है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 512/379 रकवा 14 बीघा 14 विस्वा में से 6 बीघा भूमि जी पी टी इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड को किराये पर दे रखी है। उन्होने निवेदन किया कि आराजी की मौके की पैमाईश कराकर पक्षकार के कब्जा की रिपोर्ट मंगाई जाकर कब्जानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम कराई जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5, 6 ने अपने जबाब वहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर ए में पेश किया है और वह कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम करवाना चाहते है। जबकि 136 एल आर ए के अन्तर्गत जमाबंदी में राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा हुई लिपिकीय ऋटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। इस धारा के तहत आराजी की पैमाईश रिपोर्ट एवं कब्जे के बाबत रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान् द्वारा नहीं मंगवायी जा सकती है। प्रार्थीगण पूर्व आंवटी से जमीन के क्रेतागण है तथा पूर्व आंवटी द्वारा रेलवे से मुआवजा भी लिया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 मूल खातेदार है जबकि प्रार्थीगण क्रेतागण है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 9 में यह कथन किया है कि अप्रार्थी अशोक का कब्जा प्रार्थीगण के उत्तर दिशा में है एवं चरण संख्या 14 में यह कथन किया है कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 512/379 रकवा 14 बीघा 14 विस्वा में से 6 बीघा भूमि जी पी टी इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड को किराये पर दे रखी है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई कब्जे अनुसार तरमीम इस प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी आंवटन के बाद कब्जा प्राप्त कर कब्जानुसार काविज है। आंवटन सन् 1971 में हुआ आंवटन के बाद मौके पर कब्जों के आधार पर तरमीम की गई। प्रार्थीगण को भूमि आंवटन नहीं हुई वह क्रेता है। प्रार्थीगण ने व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भूमि किराये पर दे रखी है कृषि नहीं हो रही है। इस कारण वह 177 आरटीए के तहत बेदखली योग्य है।

वहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण के तथ्यो से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि एक बडे खसरा नम्बर मे से अप्रार्थी

**उपखण्डाधिकारी**  
धौलपुर (राज०)

संख्या 1 लगायत 3 को सन् 1971 में आवंटित हुई थी तथा के बाद कब्जा दिया जाकर मौके पर तरमीम की हुई प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व आवंटी खातेदार से खसरा नम्बर 512/379 जरिये वयनामा कय किया गया। उक्त भूमि मे से रेलवे ने भूमि अवाप्त भी की गई जिसका मुआवजा अप्रार्थी संख्या 1, व अप्रार्थी संख्या 2, 3 की मां विमलादेवी व श्रीमती शमीम वेगम प्रदान किया गया। प्रार्थीगण जो कि एक क्रेता है तथा मूल आवंटी खातेदार के द्वारा आवंटन वर्ष 1971 के पश्चात् खातेदारी प्राप्त करने के उपरान्त भूमि के विक्रय दिनांक तक राजस्व नक्शा में हो रही तरमीम को गलत बताते हुए कोई आपत्ति नहीं की। प्रार्थीगण जो एक क्रेता है उनके द्वारा राजस्व नक्शे में पूर्व से हो रही तरमीम को दुरुस्त कराने के लिए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थना किया जाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया और न ही ऐसा कोई रेकार्ड ही पेश किया गया जो यह सिद्ध करता हो कि आवंटन के पश्चात् राजस्व नक्शा में की गई तरमीम गलत हुई हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से भूमि पैमाईस कराने एवं मौके पर वर्तमान कब्जे के अनुसार नक्शा में तरमीम दुरुस्त करने का निवेदन किया है जबकि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटियों या बन्दोवस्त के दौरान राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटियों को ही दुरुस्त किया जा सकता है राजस्व नक्शे की दुरुस्ती राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत नहीं की जा सकती। भूमि की पैमाईश के लिए प्रार्थीगण को तहसीलदार के यहाँ आवेदन करना चाहिये था। प्रार्थीगण ने कृषि भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए निजी फर्म को किराये पर दे रखा है उनके द्वारा भूमि का स्वरूप बदला गया है कृषि भूमि का संपरिवर्तन कराये बिना अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाने के संबंध में संबंधित के बिरुद्ध 177 आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए लैण्ड हौल्डर तहसीलदार धौलपुर स्वतन्त्र है। वर्तमान प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व नक्शा की तरमीम को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसलशुमार होकर वाद तकमील हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(भारती भारद्वाज)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
धौलपुर (राज.)